# FORM - III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर**

विनोद कुमार **बनाम** राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट प्रकरण संख्या265 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/377

| तामिल हुकम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.08.2025 | प्रार्थी विनोद कुमार पुत्र अमीचन्द जाति मेघवाल निवासी 9 एफ ए माझीवाला तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1903 दिनांक 16.07.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 व भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अवलोकन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 1 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 122/106 की प्रति, इन्तकाल संख्या 496 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 1 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए माझीवाला, भू. अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 104/100 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी के द्वारा राजस्व ग्राम 1 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 122/106 में अंकित नाम विनोद कुमार पुत्र अमीचन्द के स्थान पर विनोद कुमार पुत्र अमीचन्द दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति में नाम विनोद कुमार पुत्र अमीचन्द अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम विनोद कुमार पुत्र अमीचन्द्र दर्ज है। जबकि इन्तकाल संख्या 496 में नाम विनोद कुमार पुत्र अमीचन्द अंकित है। दुरूस्ती की जानी उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एफ बी, पटवार हल्का 9 एफ ए माझीवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 122/106 में अंकित नाम विनोद कुमार पुत्र अमीचन्द्र के स्थान पर विनोद कुमार पुत्र अमीचन्द दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।<br>सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) | |